



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ  
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/24

दिनांक : 11/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त  
राजस्थान।

विषय:-भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के आई.ई.सी. के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को होना है इसके अन्तर्गत समस्त जिला स्तर पर योजना के लिए प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) यथा पोस्टर/बैनर/पम्पलेट इत्यादि द्वारा किया जाना है इस सन्दर्भ में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने जिले में स्थित ई-मित्र केन्द्रों पर भी प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस हेतु प्रत्येक जिले में न्यू इण्डिया ऐश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों को एक लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से प्रचार-प्रसार के लिए राशि इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा दी गई है आप सभी कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी. हेतु दिए गए बजट का इस्तेमाल करें किन्हीं परिस्थितियों में यदि भुगतान में समस्या आती है तो आई.ई.सी. के लिए इस्तेमाल हुई रकम का ब्यौरा बिल सहित राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे सक्षम स्तर से बिलों का भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

(डॉ. नीरज के. पवन)  
अतिरिक्त मिशन निदेशक  
एन.एच.एम.

क्रमांक: एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/24

दिनांक : 11/12/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
13. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
14. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर, समस्त।
17. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
18. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
20. न्यू इण्डिया ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।
21. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक  
एन.एच.एम.